

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013—आषाढ़ 21, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ 48-5-2013-बीस-3.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 16 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गोविन्द शर्मा, बी-6, शाहपुरा, भोपाल को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में उप सभापति के पद पर “मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र” में नाम-निर्देशन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए नियुक्त करता है.

2. उप सभापति के कर्तव्य एवं सेवा-शर्तें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 16 (2) व 16 (3) के अनुसार रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.